



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3935/2026

कृशन पाल सिंह

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनुपम दूबे

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सहायक पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्धनगर द्वारा पारित दिनांक 31.05.2025 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या 15067/2025 को प्राथमिकता दी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था। उपरोक्त आदेश इस प्रकार है: -

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें 15.10.1989 को कांस्टेबल सिविल पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2013 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसके बाद वर्ष 2015 में उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, वह 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हुए। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के भुगतान के लिए भी आदेश पारित किए गए थे, हालांकि, 31.05.2025 को बिना किसी आधार के



रिट याचिकाकर्ता का वेतन पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्धनगर द्वारा पारित संशोधन आदेश के माध्यम से यानी 64,100/- रुपये से घटा दिया गया था, जबकि 01.07.2025 से इसे 56,900/- रुपये तय किया गया था, वह भी रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि रिट याचिकाकर्ता को गलती से वेतन या वेतनमान दिया गया था और उसी में बदलाव की आवश्यकता थी तो सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 18 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में सहायक पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्धनगर द्वारा पारित दिनांक 31.05.2025 के आदेश को रद्द करने और 64,100/- रुपये का मूल वेतनमान देने और अवैध रूप से वसूल की गई 8,19,674/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना है।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह राज्य सरकार की नीति का प्रकरण है कि जब भी वेतनमान या वेतन में कोई परिवर्तन होता है तो सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और यहां यह दिनांक 31.05.2025 के आदेश से नहीं आ रहा है जो एक समिति का आदेश प्रतीत होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस में रखा गया था या नहीं। उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।

5. समग्र तथ्य की स्थिति और संबंधित पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए, यह न्यायालय बिना किसी और गहराई में विचार किए निम्नलिखित शर्तों में रिट याचिका का निपटारा कर रहा है।

(ए) रिट याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और 17.10.2025 तक आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व पसंद करेगा, उक्त प्रस्ताव पर, पांचवां प्रत्यर्थी, सहायक पुलिस आयुक्त, जिला गौतम बुद्धनगर रिट याचिकाकर्ता को नोटिस करने और उचित संचार के बाद उसकी सुनवाई करने के लिए एक तारीख तय करेगा; (ख) इस प्रकार निर्धारित तिथि पर सुनवाई की जाए और रिट याचिकाकर्ता यदि आवश्यक हो तो कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने या इनपुट प्रदान करने के लिए कह सकता है और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जा



सकता है; (ग) जब तक नए आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी; (घ) इस प्रकार काटी गई कोई भी राशि उस संबंध में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

6. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारित किया जाता है।”

2. उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा 04.11.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त, (मुख्यालय/प्रतिष्ठान) आयोग गौतम बुद्धनगर/प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा 10.12.2025 को नोटिस जारी किए गए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 22.12.2025 को उसके समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किए बिना, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 15.01.2026 का आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश **पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) 4 एससीसी 434** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

5. रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि 2025 की रिट ए संख्या 15067 द्वारा पारित दिनांक 07.10.2025 के आदेश में, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को विशेष निर्देश दिया है कि सुनवाई की तारीख तय की गई और उक्त तिथि पर याचिकाकर्ता को सुना लेकिन आक्षेपित आदेश पारित करते समय, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था और आक्षेपित आदेश न केवल सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है यह प्राकृतिक न्याय है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का भी पूर्ण उल्लंघन है जो प्रकृति में अवमानना है।

6. प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता है।

7. सभी प्रत्यर्थीगण को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है।
9. उसके बाद सूची बनाएं।
10. इस न्यायालय के अगले आदेश तक, सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/प्रतिष्ठान) आयोग गौतम बुधनगर/प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 15.01.2026 और 31.05.2026 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

23 मार्च, 2026

सकलेन